अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 18/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 64 और स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"कांच और चीनी मिट्टी कारटिज फ्यूज़, ब्लेड फ्यूज़, स्वचालित फ्यूज़, पृष्ठधारक फ्यूज़, सब-मिनिएचर फ्यूज़, सूक्ष्म फ्यूज़, पुन:नियतनीय फ्यूज़ तथा तापीय फ्यूज़"।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.22/2010-सीमाशुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 द्‌वारा, सा.का.नि.सं. 135(अ) तारीख 27 फरवरी, 2010 द्‌वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।